सियालदह-सीतामढ़ी-सियालदह स्पेशल ट्रेन

आगामी छठ पर्व के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए 03143/03144 सियालदह-सीतामढ़ी-सियालदह स्पेशल ट्रेन का परिचालन निम्नलिखित समय सारणी, ठहराव, परिचालन तिथियों एवं कोच संरचना के अनुसार किया जाएगा।

सियालदह–सीतामढ़ी (03143)			(03144) सीतामढ़ी – सियालदह			
दिन	आगमन	प्रस्थान	स्टेशन	आगमन	प्रस्थान	दिन
शुक्रवार		23:50	↓ सियालदह	12:25		
	01:50	01:52	बड़ेमान	08:56	08:58	
	03:55	03:56	आसनसोल	06:45	06:50	शुक्रवार
	04:19	04:20	मधुपुर	04:36	04:38	
	11:25	11:30	समस्तीपुर	21:05	21:10	
	12:10	12:15	दरभंगा	19:15	19:20	शनिवार
	15:30	—	सीतामढ़ी ↑	—	17:00	

उपर्युक्त विशेष ट्रेनें रास्ते में दोनों दिशाओं में नैहाटी, बैण्डेल, दुर्गापुर, चित्तरंजन, जसीडीह, झाझा, किऊल, बरौनी, दलसिंहसराय, समस्तीपुर और जनकपुर रोड स्टेशनों पर भी रुकेंगी। ● चलने की तारीखें और दिन: सियालदह से: 03143, 11.11 और 18.11.2026 (बुधवार) को = 02 फेरे; और सीतामढ़ी से: 03144, 12.11 और 19.11.2026 (गुरुवार) को = 02 फेरे। ● संरचना: एसी 3-टियर: 04, स्लीपर क्लास: 10, जनरल सेकंड क्लास (जीएस): 06, SLRD: 02 – कुल 22 कोच। ● श्रेणी: रेल/एक्सप्रेस।

मुख्य यात्री परिवहन प्रबंधक

पूर्व रेलवे

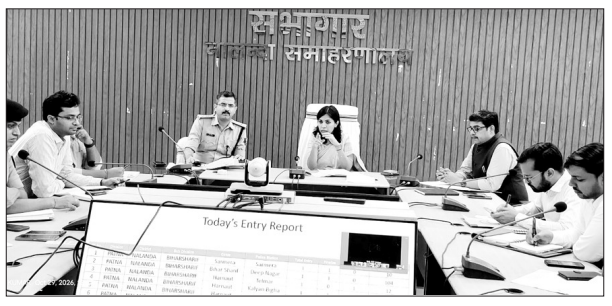
हमें फॉलो करें: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

विधि व्यवस्था और अवैध कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए पदाधिकारियों ने की समीक्षा बैठक

डीएम-एसपी ने कहा छठ पर्व के दौरान आम लोगों की सुरक्षा के लिए अधिकारी रहें सतर्क

बिहारशरीफ। समाहरणालय स्थित हरदेव भवन में जिलाधिकारी श्रीमती उदिता सिंह और पुलिस अधीक्षक हृदयकांत की संयुक्त अध्यक्षता में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विधि-व्यवस्था, भूमि विवादों के त्वरित निष्पादन, मद्यनिषेध, अवैध खनन, नीलाम पत्र वादों और सड़क सुरक्षा से जुड़े मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई। इसके साथ ही आगामी दीपावली, धनतेरस और महापर्व छठ के दौरान जिले में शांति, सुरक्षा और आम लोगों की सुविधा हर हाल में सुनिश्चित करने को लेकर अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए।

बैठक में भूमि विवादों से संबंधित लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाने पर विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ नियमित निगरानी रखने और विवादों का समय पर समाधान करने को कहा गया। नीलाम पत्र वादों की समीक्षा के दौरान बिहारशरीफ और



परवलपुर में लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए गए। मद्यनिषेध और अवैध खनन के मामलों पर प्रभावी रोक लगाने के लिए पुलिस और उत्पाद विभाग को समन्वित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। पर्वों के दौरान बाहर से आने वाले लोगों की आवाजाही को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है।

सड़क सुरक्षा की समीक्षा करते हुए दुर्घटनाओं के कारणों की पहचान कर संवेदनशील स्थलों पर आवश्यक सुधार करने, यातायात संकेतकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और वाहन चालकों द्वारा गति सीमा का पालन कराने पर बल दिया गया। दुर्घटनाओं से जुड़े आंकड़ों को अद्यतन रखने के भी निर्देश दिए गए।

आगामी लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर छठ घाटों पर साफ-सफाई, प्रकाश और सुरक्षा सहित अन्य सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय से पूरी करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि वे शीघ्र ही छठ घाटों का निरीक्षण करेंगी, इसलिए संबंधित पदाधिकारी घाटों की तैयारियों को हर हाल में समय रहते दुरुस्त कर लें, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

बैठक के अंत में दुर्गापूजा के शांतिपूर्ण आयोजन की सफलता पर सभी अधिकारियों और कर्मियों के कार्यों की सराहना करते हुए आगामी पर्वों में भी इसी तत्परता और जिम्मेदारी से काम करने की अपील की गई।



एंबुलेंस की टक्कर से मासूम की मौत के बाद ग्रामीणों ने किया सड़क जाम

बिहारशरीफ। अस्थावां रेफरल अस्पताल के मुख्य गेट के पास बुधवार को एक अनियंत्रित एंबुलेंस की चपेट में आने से छह वर्षीय मासूम की मौत हो गई और उसकी मां जख्मी हो गई। मृतक की पहचान बिहारी बीघा गांव निवासी राजीव पासवान के पुत्र जैकी कुमार के रूप में हुई है। घटना के समय बच्चा अपनी मां के साथ अस्पताल से टीबी की दवा लेकर बाहर निकल रहा था। हादसे के बाद चालक दोनों को सदर अस्पताल ले गया, जहां बच्चे की मौत के बाद वह वाहन समेत फरार हो गया। इस घटना से आक्रोशित परिजनों ने गुरुवार सुबह मुआवजे और दोषी चालक पर कार्रवाई की मांग को लेकर शव को अस्थावां बाजार चौराहे पर रखकर बिहारशरीफ-बरबीघा मार्ग को जाम कर दिया, जिससे वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।

पूर्व मध्य रेल

ई. नीलामी सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से मंडल रेल प्रबंधक (वाणिज्य), पूर्व मध्य रेलवे, पंडित दीन दयाल उपाध्याय मंडल द्वारा निम्नलिखित पार्किंग स्टैंडों के संचालन हेतु ई-नीलामी आमंत्रित की जाती है। विस्तृत विवरण निम्नवत् है:-(1) **AA/1 कार्य का नाम, स्थान एवं पूर्ण अवधि:** डेहरी-ऑन-सोन रेलवे स्टेशन के सरकुलेटिंग एरिया में स्थित दो पहिया वाहन पार्किंग स्टैंड का संचालन 03 वर्षों के लिए। **ई-नीलामी कैटेलॉग संख्या:** COM-PARK-2W-DOS **ई-नीलामी लॉट संख्या:** PARKING-DDU-DOS-TW-7-26-1 **ई-नीलामी की तिथि एवं समय:** ई-नीलामी दिनांक 10.11.2026 को 12:00 बजे शुरू होगी और 12:30 बजे बंद होगी। (2)**वेबसाइट का पता, जहाँ ई-नीलामी का पूर्ण विवरण उपलब्ध है :** www.ireps.gov.in (E-auction Leasing)

मंडल रेल प्रबंधक (वाणिज्य)
पूर्व मध्य रेल पं0 दीन दयाल उपाध्याय
पीआर/1215/डीडीयू/सीओएमएल/ईएएन/26-27/24

सड़क दुर्घटना में अधेड़ की मौत

बिहारशरीफ। दीपनगर थाना क्षेत्र के देवीसराय मोड़ के समीप बुधवार की शाम एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 55 वर्षीय अधेड़ गंभीर रूप से जख्मी हो गए। परिजनों द्वारा उन्हें तुरंत इलाज के लिए एक निजी क्लीनिक में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान देर शाम उनकी मौत हो गई। ,

मृतक की पहचान काको बिगहा गांव निवासी स्वर्गीय राजो सिंह के 55 वर्षीय पुत्र अरुण सिंह के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची।

दीपनगर थानाध्यक्ष सुमन कुमार ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है।

बच्चे को गंभीर बताकर सदर अस्पताल के चिकित्सक ने अपनी क्लीनिक में भेजा

बच्चे की मौत के बाद पिता के आरोप पर सीएस ने पांच सदस्यीय जांच दल की गठित

बिहारशरीफ। बिहारशरीफ सदर अस्पताल में एक नवजात शिशु की मौत के मामले में परिजनों ने ड्यूटी पर तैनात एक डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि सदर अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. पंकज कुमार ने नवजात को बहला-फुसलाकर अपने निजी क्लिनिक में भर्ती कराया और इलाज में भारी लापरवाही बरती, जिससे बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा किया और शव को लेकर सीधे सिविल सर्जन कार्यालय पहुंच गए।

पिता का आरोप है कि डॉक्टर ने बच्चे की स्थिति गंभीर बताकर उसे चार घंटे के भीतर अस्पताल से बाहर ले जाने का दबाव बनाया और अपनी सलाह पर इतवारी बाजार स्थित अपने निजी क्लिनिक 'मम्मी बेबी हेल्थ केयर' में ले जाने को कहा। परिजनों का आरोप है कि निजी क्लिनिक में भर्ती कराने के बाद शाम तक बच्चे की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ और डॉक्टरों ने छुट्टी देने से इनकार कर दिया। रात के समय डॉक्टर क्लिनिक से चले गए और तड़के अचानक नवजात का ऑक्सीजन स्तर गिरकर 25 तक पहुंच गया तथा उसके मुंह और नाक से खून बहने लगा। इसके बाद उसे नाला रोड स्थित दूसरे निजी क्लिनिक में रेफर किया गया, जहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

दूसरी ओर, आरोपी डॉक्टर पंकज कुमार ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उनका पक्ष है कि ड्यूटी के दौरान उनकी मुलाकात पीड़ित परिजनों से नहीं हुई थी और पुरानी जान-पहचान के आधार पर परिजन स्वेच्छा से बच्चे को उनके निजी क्लिनिक लाए थे, उस समय बच्चे की स्थिति बेहद नाजुक थी और उसका बिलिरुबिन स्तर 32 तक पहुंच चुका था।

मामले की गंभीरता को देखते हुए सिविल सर्जन डॉ. जय प्रकाश सिंह ने जिला यक्ष्मा पदाधिकारी डॉ. राकेश कुमार के नेतृत्व में पांच सदस्यीय उच्चस्तरीय जांच टीम का गठन कर दिया है।

सिविल सर्जन ने स्पष्ट किया है कि जांच में डॉक्टर दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ तुरंत निलंबन की अनुशंसा करते हुए कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी।



सदर अस्पताल में वार्ड ब्वॉय और स्ट्रेचरमैन की लापरवाही से प्रसूता बेहोश होकर गेट पर गिरी

बिहारशरीफ। सदर अस्पताल में आपातकालीन सेवाओं के तमाम दावे गुरुवार की सुबह एक बार फिर खोखले साबित हुए। ताजा मामले में दीपनगर थाना क्षेत्र के गोलापुर गांव निवासी लक्ष्मण कुमार की पत्नी खुशबू कुमारी को गुरुवार सुबह करीब 8:05 बजे अचानक तेज प्रसव पीड़ा हुई, जिसके बाद परिजन उन्हें लेकर सदर अस्पताल पहुंचे थे। दर्द इतना अधिक था कि महिला के लिए खड़े होना या चलना भी असंभव हो गया था। परिजन जैसे-तैसे सहारा देकर उसे इमरजेंसी गेट तक लेकर आए, लेकिन गेट पर पहुंचते ही वह दर्द से बेहाल होकर फर्श पर गिर पड़ी। इस संवेदनशील स्थिति में भी अस्पताल का कोई भी स्वास्थ्यकर्मी मदद के लिए आगे नहीं आया। न तो कोई वार्ड बॉय नजर आया और न ही कोई स्ट्रेचरमैन अपनी जगह पर मौजूद था। आखिरकार काफी मशक्कत के बाद गार्ड स्ट्रेचर लेकर तो आया, लेकिन महिला को उठाकर उस पर लिटाने में मदद करने के बजाय उसने परिजनों को ही स्ट्रेचर पकड़ा दिया। मजबूर परिजनों ने खुद ही हिम्मत जुटाई और महिला को स्ट्रेचर पर लिटाकर अंदर प्रसव कक्ष तक पहुंचाया।

डीपीएम ने कहा इसका होगा स्थायी समाधान : इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए डीपीएम श्याम कुमार निर्मल ने कहा है कि वार्ड बॉय और स्ट्रेचरमैन की एक विशेष बैठक बुलाई जाएगी और उन्हें सख्त निर्देश दिए जाएंगे कि वे शिफ्ट बदलने के नियमों का कड़ाई से पालन करें तथा दूसरी शिफ्ट के कर्मियों के आने से पहले कोई भी कर्मचारी अपनी ड्यूटी न छोड़े। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में यदि इस तरह की लापरवाही दोबारा सामने आती है, तो संबंधित दोषी कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

शराब पीते विकास मित्र समेत पांच गिरफ्तार

बिहारशरीफ। बिंद थाना क्षेत्र के नीरपुर गांव में शराब पीकर हंगामा कर रहे बिन्द पंचायत के विकास मित्र राजेश कुमार समेत पांच लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थानाध्यक्ष मुरली मनोहर आजाद ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि नीरपुर गांव में कुछ लोग शराब के नशे में उत्पात मचा रहे हैं। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने विकास मित्र राजेश कुमार के अलावा नौरंगा गांव निवासी रविशंकर कुमार व अनुज प्रसाद और नीरपुर गांव निवासी पंकज कुमार व रौशन कुमार को दबोच लिया।

पूर्व मध्य रेल

ई–निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से एवं उनके लिए मुख्य संकेत एवं दूर संचार अभियंता/निर्माण/पूर्व मध्य रेल,/महेन्द्रूघाट/पटना निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाइन ई–निविदा के माध्यम से खुली निविदा आमंत्रित करते हैं

ई–निविदा संख्या: एस एण्ड टी–सी–155 आर

कार्य का नाम : पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर मंडल में सीतामढ़ी, रिगा, रक्सौल और नरकटियागंज स्टेशनों पर वितरित इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम (इनडोर और आउटडोर) (एक सेंट्रलाइज्ड + दो एंड केबिन) का डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग, साथ ही टेलीकॉम का काम।, **अनुमानित लागत :** रू. 82,28,85,040.01, **अमानत राशि :** रू. 1,64,57,700.00, **निविदा प्रपत्र का मूल्य :** शून्य, **कार्य निष्पादित करने का समय :** 36 महीने, **ई निविदा ऑनलाइन जमा करने का अंतिम दिन एवं समय :** 19.11.2026 को 13.00 बजे तक। विस्तृत निविदा सूचना एवं दस्तावेज भारतीय रेल की वेबसाइट **http://www.ireps.gov.in** पर देखने के लिए उपलब्ध है।

उप मुख्य संकेत एवं दूर संचार अभियंता/निर्माण/उत्तर पूर्व मध्य रेल, महेन्द्रूघाट, पटना

पीआर/1205/सीएन/एन/एमएक्स/एस एण्ड टी/टी/26-27/32

पूर्व मध्य रेल

ऑन लाईन ई–निविदा (खुली) सूचना

निविदा आमंत्रित सूचना संख्या ईएल/50/दानापुर/खुली/26/ 2026–27

मंडल रेल प्रबंधक, पूर्व मध्य रेल दानापुर भारत के राष्ट्रपति की ओर से दानापुर मंडल में उन संवेदकों से जिनके पास वैध विद्युत लाइसेंस जो राज्य/केन्द्र सरकार के लाईसेंसिंग बोर्ड द्वारा जारी किया गया हो और वे निविदा पत्र में वर्णित अन्य शर्तों को पूरा करते हों उनसे निम्नलिखित कार्यों हेतु ऑन लाईन ई – निविदा (खुली) निविदा आमंत्रित करते हैं। **निविदा संख्या : ईएल/50/दानापुर /खुली /26/ 2026–27. क्रम सं० 1 कार्य का नाम :** पाटलिपुत्र रेल परिसर, दीघा में अधिकारियों के फ्लैट (ब्लॉक–A और B G+7 इमारत), ब्लॉक–C (G+5 इमारत) PHOD के 15 बंगलो, GM का बंगला, स्पोर्ट्स क्लब, अस्पताल की इमारत, ORH, ऑफिसर्स क्लब और अन्य क्षेत्रों में मौजूद सभी प्रकार की विद्युत संपत्तियों की मरम्मत रखरखाव और उनके संचालन (मैनिंग) का कार्य 03 वर्षों के लिए किया जाना है। **क्रम सं० 2 अनुमानित लागत :** रू. 2,81,17,763.05/–, **क्रम सं० 3 अग्रधन राशि :** रू. 5,62,400/–, **क्रम सं० 4 निविदा जमा करने की तिथि एवं समय :** 18.11.2026 को 12.00 बजे तक निर्धारित है। **क्रम सं० 5** उपरोक्त सभी निविदा की वेबसाइट, नोटिस बोर्ड और कार्यालय : क्रिस वेबसाइट **http://www.ireps.gov.in** वरीय मंडल बिजली इंजीनियर/सा०/का कार्यालय, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय भवन, पूर्व मध्य रेल, दानापुर। **नोट : (1)** विवाद की स्थिति में अंग्रेजी नोटिस मान्य होगा। **(2)** यदि जरुरी हो तो शुद्धि–पत्र उपरोक्त वेबसाइट पर 15 दिन पहले तक अपलोड होगा।

मंडल रेल प्रबंधक (विद्युत/सा०), पूर्व मध्य रेल, दानापुर

पीआर/1206/डीएनआर/वि./टी/26–27/52



GOVT. OF BIHAR

BIHAR COMBINED ENTRANCE COMPETITIVE EXAMINATION BOARD

I.A.S. Association Building, Near Patna Airport, Patna-14.

Website : bceceboard.bihar.gov.in / Helpdesk : helpdesk.bceceboard@bihar.gov.in

UNDER GRADUATE MEDICAL ADMISSION COUNSELLING (UGMAC)-2026 for MBBS/ BDS/ B.V.Sc. & A.H./ B.F.Sc. in Govt. Medical / Dental / Veterinary Colleges / College of Fisheries and Private Medical / Dental Colleges of Bihar

Adv. No.- BCECEB(UGMAC)-2026/17 Dated 28.10.2026

Notice regarding Extended Online Counselling Programme for Stray Vacancy Round

In continuation to Adv. No. BCECEB(UGMAC)-2026/16 dated 22.10.2026, it is informed to all eligible & interested NEET(UG)-2026 qualified candidates and all concerned that Provisional Seat Allotment Result for Stray Vacancy Round Counselling of UGMAC-2026 has been published on Board's website.

The counselling programme for Stray Vacancy Round Counselling is hereby Re-scheduled as follows;

Sl.	Programme	Re-scheduled Date
i.	**Stray Vacancy Round Provisional Seat Allotment Result publication date**	**: 28.10.2026**
ii.	Downloading of Allotment order	**: 28.10.2026 to 31.10.2026**
iii.	**Documents Verification and Admission (Stray Vacancy Round)**	**: 29.10.2026 to 31.10.2026**

2. Rest of the terms / conditions of Adv. No.- BCECEB(UGMAC)-2026/14 Dated 18.10.2026 and 2026/16 dated 22.10.2026 will remain the same.

Controller of Examination

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 84 BNSS देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त आरोपी **दीपक**, पुत्र महेश कुमार, पता: गांव मोनेखाप, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार **Case Reg No. 2552/19, FIR No: 94/19, U/s: 379/411/427 IPC,** थाना: सुभाष प्लेस, दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है), और जब पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारण्ट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **दीपक**, मिल नहीं रहा है और मुझे यथोचित रूप से दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **दीपक**, फरार हो गया है (या उसने वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है)। इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि उक्त अभियुक्त **दीपक, Case Reg No. 2552/19, FIR No: 94/19, U/s: 379/411/427 IPC,** थाना: सुभाष प्लेस, दिल्ली से अपेक्षा की जाती है कि वे इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **30.11.2026** को या उससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसार
उपासना सतीपा
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, उत्तर–पश्चिम जिला
कमरा नंबर 108
रोहिणी कोर्ट, दिल्ली

DP/15544/NW/2026
(Court Matter)

